प्रेस विज्ञप्ति

03.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को धोखा देने से संबंधित मामले में मेसर्स दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच के तहत 02.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत करुतुरी वेंकटेश्वर राव को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई द्वारा मेसर्स दीपक केबल्स इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) और उसके प्रबंध निदेशक के. वेंकटेश्वर राव और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करके और ऋण राशि का गबन करके 899.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी पर आरोप है कि उसने बैंक ऋण प्राप्त करने और उसे जारी रखने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए और खातों में हेरफेर किया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी खरीद-फरोख्त, चक्रीय व्यापार और फर्जी कॉर्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए कई संस्थाओं का इस्तेमाल किया। इन लेन-देनों का उपयोग कारोबार को कृत्रिम रूप से बढ़ाने, बैंकों से ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने, मौजूदा ऋणों को नवीनीकृत करने और अपराध की आय को संबंधित कंपनियों और व्यक्तिगत खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए किया गया, जिससे इसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। यह भी पता चला कि ऋण की भारी मात्रा बिना किसी व्यावसायिक तर्क और संदिग्ध उद्देश्य के के. वेंकटेश्वर राव के नियंत्रण वाली संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी।

कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि करुतुरी वेंकटेश्वर राव, पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध के दोषी हैं; उन्होंने पीओसी (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) तैयार किया; और अपने से जुड़े और संचालित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों का उपयोग करके धन को कई स्तरों पर एकत्रित किया।

इसलिए, करुतुरी वेंकटेश्वर राव को गिरफ्तार कर बेंगलुरु स्थित माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने करुतुरी वेंकटेश्वर राव को ईडी को 10 दिनों की हिरासत में सौंप दिया।

इससे पहले, इस मामले में तलाशी अभियान चलाया गया था जिसमें 1.27 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और नकदी जब्त की गई थी और 18 करोड़ रुपये की राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था।

आगे की जांच जारी है।